<u>निर्देश संख्या 49</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
एस. टी. सी. बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001

फ. नो. ए -110018 /01 /2021-सी.ए. क्यू. एम./4067 -78 **दिनांक: 15.12.2021**

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत निर्देश - दिनांक 02.12.2021 के निर्देश संख्या 46 में विभिन्न उद्योगों पर लगाई गयी शर्तों पर रियायत देने के सम्बन्ध में -

1. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने दिनांक 02.12.2021 की निर्देश संख्या 46 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया था कि, "एन. सी. आर में जो औद्योगिक ऑपरेशन और प्रक्रियायें पी. एन. जी. या स्वच्छ ईंधन पर नहीं चल रहे हैं , उन्हें सोमवार से शुक्रवार तक केवल 08 घंटे तक प्रचालन की अनुमति होगी और शनिवार एवं रविवार को प्रचालन की अनुमति नहीं होगी ।

2. जबकि, उपरोक्त निर्देश जारी करते समय दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए. क्यू. आई.) श्रेणी "गंभीर" के अंतर्गत थी ।

3. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने रिट याचिका संख्या 1135/2020 "आदित्य दुबे (नाबालिग) और अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य" दिनांक 10/12/2021 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ निम्नलिखित निर्देश पारित किया है ।

" हमारे पिछले आदेश या आयोग के अन्यथा दिए गए परिपत्र द्वारा लागू की गई शर्तों के बारें में विभिन्न उद्योगों एवं संगठनों से प्राप्त अनुरोध का परीक्षण करने के लिए हम निर्देश देते हैं । "

""हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में आयोग विचार करेगा और एक सप्ताह में उचित कार्रवाई करेगा ।"

4. जबकि, उपरोक्त मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष डेवेलपर्स एवं बिल्डर्स फोरम की ओर से (आई. ए. संख्या 2021 का 159241 एवं) एम एस. अभिषेक कॉन्ट्रैक्टर्स (आए. ए. सं 2021 का 159206 एवं 159208), आल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (आई. ए. स. 2021 का 161435 एवं 161436), एन. सी . आर. पेपर मिल्स एसोसिएशन (आई.ए.स. 2021 का 160519) और एम./ एस. मैगनम वेंचर्स लिमिटेड (आई. ए. स. 161445, 161450 एवं 161557) क्रमश: आई. ए. दायर की गई है, जिसमें आयोग की निर्देश स: 47 में आंशिक बन्दी से छूट के लिए अनुरोध किया गया है ।

5. आल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन, इंडियन पेपर मनुफक्चरर्स एसोसिएशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया, पानीपत एक्सपोर्ट एसोसिएशन, गारमेंट एक्सपोर्टरस एन्ड मनुफक्चरर्स एसोसिएशन, गुरुग्राम चैम्बर ऑफ़ इंडियन ट्रेड एन्ड इंडस्ट्रीज , गाज़ियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया मनुफक्चरर्स एसोसिएशन , गाज़ियाबाद, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फेडरेशन, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन , गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, गुर्गाओं चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बेहरोड़, अलवर, नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, अलवर, भिवाड़ी रोलिंग मिल्स एसोसिएशन, अलवर और मत्स्य उद्योग संघ, अलवर. ।

6. जबकि, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के दिनांक 10.12.2021 के सादर अनुपालन में आयोग ने दिनांक 13.12.2021 एवं 14.12. 2021 को विभिन्न मध्यस्थों के साथ आयोजित विभिन्न बैठकों में विस्तृत चर्चाय एवं विचार-विमर्श किए| अन्य संघों / संगठनों / व्यक्तियों जिसमें वह इकाइयाँ भी शामिल हैं जिन्हे उड़ान दस्ताओं के निरीक्षण

के दौरान विभिन्न निर्देशों/आदेशों और अन्य सम्बंधित कानूनी नियमों / नियमावली के घोर उल्लंघन के लिए काम बन्दी के आदेश दिए गये हैं | जिन्होंने समय-2 पर, जारी किये गाये निर्देशों के बारें में चिंताओं पर आपने विचार व्यक्त करना चाहा उन्हें भी आयोग ने सुना ।

7. जबकि, उपरोक्त विचार-विमर्श के दौरान अधिकांक्ष उद्योगों का मुख्य विवाद और चिंता अनिवार्य तकनीकी आवश्यकता लगातार / लम्बे समय तक विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियायों का समय कम का चलना था और प्रक्रियाओं में बड़े नुक्सान और हर्जाना से बचना था ।

8. जबकि, सभी क्षेत्रों के संघों की अन्य चिंताएं एवं प्रस्तुतीकरण निम्नवत थे:

(i) कुछ इकाइयाँ आवश्यक सेवायें प्रदान करने की गतिविधियों में लगी हुई हैं और आंशिक काम बन्द से दिल्ली- एन. सी. आर. में आपूर्ति और सम्बंधित उत्पाद गंभीर रूप से प्रभावित होंगे और उत्पादों की कमी हो जाएगी ।

(ii) काम बंदी से इकाइयाँ बन्द हो जाएगी या उनके संचालन को प्रतिबंधित करने से लघु उद्योगों और व्यक्तियों और अन्य संसाधनों से कच्चा माल नहीं लिया जाएगा ।

(iii) केवल आठ घण्टे रोज़ाना संचालन तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है और इससे बोयलर निष्प्रभावी हो जाएगा और उत्पादन - कार्य क्षमता बाधित होगी ।

9. जबकि, व्यक्तिगत क्षेत्रों में टकनीकी और प्रक्रिया ज़रूरतों का मूल्यांकन एवं विस्तार से विचार-विमर्श आयोग में किया गया और अधिकांश उद्योगों में प्रक्रिया के लिए कुल समय चक्र से सम्बंधित तर्क 08 घंटे से काफी अधिक है जो कि विचार करने योग्य है ।

10. जबकि, यद्यपि ऐसे उद्योग अभी भी पी. एन. जी. / स्वच्छ ईंधन पर नहीं चल रहे हैं और प्रदूषणकारी ईंधन जैसे कोयला , एच. एस. डी. और कुछ कम सीमा में धान की भूसी, बायोमास पेलेट्स / ब्रिकेटस वुंड चिप्स और वैगास आदि ईंधन पर चल रहे है |

11. जबकि, वर्तमान में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में "गंभीर' श्रेणी से सुधार होकर 'बहुत ख़राब" वायु गुणवत्ता सूचकांक हो गया है |

12. अब, इसलिए, एन. सी. आर. में जो उद्योग अभी भी पी. एन. जी. / स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित नहीं हुए हैं, विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं की तकनीकी आवश्यकता और वायु गुणवत्ता सूचकांक को ध्यान में रखते हुए और आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देश संख्या 46 एवं 47 दिनांक 02. 12. 2021 और 07. 12. 2021 क्रमशो और आयोग के 10.2.2021 के समीक्षा और वायु गुणवत्ता सूचकांक को ध्यान में रखते हुए और आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देश संख्या 46 एवं 47 दिनांक 02. 12. 2021 और 07. 12. 2021 क्रमशः और आयोग के 11.12.2021 के समीक्षा निर्देश 47 के सम्बन्ध में आयोग तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निम्नलिखित आदेश देता है :-

(i) कागज़ एवं लुग्दी प्रसंस्करण से सम्बंधित उद्योगों से मद्य निर्माण शालाएं और कैप्टिव ताप विद्युत् संयंत्रों को एक सप्ताह में अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक केवल 5 दिनों के लिए अनुमति दी जाती है और शानिवार एवं रविवार को बंद रहेंगे |

(ii) धान/चावल प्रसंस्करण से सम्बंधित उद्योग भी सप्ताह में अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक केवल 05 दिनों के लिए (प्रतिदिन काम के घंटों पर बिना किसी प्रतिबन्ध के) कार्य सञ्चालन करने की अनुमति दी जाती है और शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगे |

(iii) वस्त्र और परिधान से सम्बंधित उद्योग , रंगाई प्रसंस्करण सहित उपरोक्त (i) से (ii) तक दी गई श्रेणियों में न आनेवाले उद्योग भी सप्ताह में अर्थात से तक केवल 05 दिनों के लिए (प्रतिदिन काम के घंटों पर बिना किसी प्रतिबन्ध के) कार्य सञ्चालन करने की अनुमति दी जाती है और बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को बंद रहेंगे |

(iv) दिल्ली में सी. एन. जी. /विद्युत् एवं अत्यावशयक सामान ले जाने वाले ट्रकों के अलावा अन्य सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबद्ध रहेगा |

(v) दिल्ली में 300 कि.मि. के रेडियस में कार्य कर रहे ताप विद्युत् संयत्रों का संचालन बंद कर दिया जाएगा | यद्यपि यह प्रयास किया जाएगा की ताप विद्युत् संयंत्र न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार मांग और सम्बंधित योग्यता आदेश प्रेषण के आधार पर चलेंगे |

हस्ता०
अरविन्द नौटियाल
(सदस्य सचिव)
टल नो.: 011 - 23701197
ईमेल: arvind.kumar@nautiyal@gov.in

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड|
2. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड |
3. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड |
4. अध्यक्ष, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड |
5. अध्यक्ष, दिल्ली प्रदुषण नियंत्रण समिति |
6. सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष और सभी सदस्य

हस्ता०
(अरविंद नौटियाल)
सदस्य सचिव